प्रदेश में 91 लाख से अधिक जरूरतमंदों को मिल रही सामाजिक सुरक्षा पैंशन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा का कवच हुआ मजबूत

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील, समावेशी और जनकल्याणकारी नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है। प्रदेश में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए उनके लिए सम्मानजनक जीवन का आधार बन रही हैं। इन योजनाओं से वर्तमान में प्रदेशभर में 91 लाख 83 हजार से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने 5 जून 2024 को नियमों में संशोधन कर पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाई। इन नियमों के सतत क्रियान्वयन से वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को नियमानुसार पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। इसकी अनुपालना में पेंशन की आवेदन प्रक्रिया को सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाया गया है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सके। पेंशन से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से संचालित किया जा रहा है। पैंशन राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है। साथ ही, पेंशन से संबंधित शिकायतों का भी त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 366 करोड़ रुपये की राशि चार किश्तों में जारी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। साथ ही, केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं निशक्त पेंशन योजनाएं भी प्रदेश में व्यापक स्तर पर लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

■ **अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान हो रहा सुनिश्चित : भजनलाल शर्मा**

समय पर पैंशन सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीकें अपनाकर व्यवस्था मजबूत की जाएं : वी. श्रीनिवास

मुख्य सचिव ने ली सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं की समीक्षा बैठक

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सचिवालय स्थित चिन्तन सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए पेंशन योजना के लाभार्थियों का एनालिटिक डैशबोर्ड तैयार कर पेंशन पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने और पेंशनर के भुगतान में हो रहे विलंब के संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर इसको नियमित करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

■ **पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन मोबाइल एप के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए**

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक ली।

वी. श्रीनिवास ने कहा ने विशेष योग्यजन श्रेणी के पेंशनर का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने में हो रही कठिनाई के समाधान के लिए स्वावलंबन पोर्टल की टीम से संपर्क कर यथाशीघ्र समाधान करवाने, पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए वर्तमान में प्रचलित फेस रिकॉग्निशन मोबाइल एप को और अधिक प्रसारित कर अधिक अधिक संख्या में पेंशनर का सत्यापन इसके माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपर्णा अरोड़ा, निदेशक आशीष मोदी सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी, राजस्थान जनआधार प्राधिकरण, एनआईसी, राजस्थान विशेष योग्यजन निदेशालय तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बुजुर्गों को संभालो वरना भविष्य में सामाजिक संकट पैदा होगा : हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि ''भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन संयुक्त परिवारों के टूटने, शहरीकरण और बदलती जीवन शैली ने वर्तमान में उन्हें असहाय और उपेक्षित बना दिया है।''

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन संयुक्त परिवारों के टूटने, शहरीकरण और बदलती जीवन शैली ने वर्तमान में उन्हें असहाय और उपेक्षित बना दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को कहा है कि वह प्रदेश में संचालित वृद्धाश्रमों का दौरा कर अदालत में 15 फरवरी को रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने कहा कि प्राधिकरण देखे की क्या इन वृद्धाश्रमों की इमारत राज्य सरकार ने बनाई है और इनमें रहने वाले क्या वरिष्ठ नागरिक हैं। इसके साथ ही अदालत ने बताने को कहा है कि इनमें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं और क्या सरकार इन्हें कोई वित्तीय सहायता दे रही है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश लोक उत्थान संस्थान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वृद्धाश्रम केवल कागजों में नहीं हो सकते। यहां रहने वाले बुजुर्गों को पूर्ण सम्मान, बेहतर चिकित्सा और सुरक्षा के साथ मानवीय गरिमा के साथ जीने का हक मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सिर्फ परिवार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ रही है। देश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों के मुकाबले अधिक है। वहीं तीस फीसदी बुजुर्ग महिलाएं और 28 फीसदी बुजुर्ग पुरुष गंभीर बीमारियों से पीडित हैं। इस आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है, लेकिन वहां तुलनात्मक रूप से सुविधाएं सीमित हैं। अदालत ने यह भी कहा कि साल 2022 में देश में 10.5 फीसदी सीनियर सिटीजन थे, जो 2050 में बढ़कर करीब 20.8 फीसदी हो जाएंगे। इसके अलावा साल 2046 तक देश की बुजुर्ग आबादी 14 साल तक के बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी। ऐसे में बूढी आबादी को सामाजिक संबल की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया गया कि जयपुर में 4 वृद्धाश्रम सहित प्रदेश में कुल 31 वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नितिन सोनी ने कहा कि राज्य सरकार कई पुनर्वास केन्द्रों को वृद्धाश्रम बता रही है, जबकि वास्तव में इतने वृद्धाश्रम संचालित नहीं हो रहे हैं। इस पर अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जनहित याचिका में वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। पूर्व में अदालत ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए इसका निस्तारण कर दिया था, लेकिन बाद में पालना नहीं होने पर अदालत ने मामले में पेश अवमानना याचिका को पुन: जनहित याचिका के तौर पर सुनना तय किया था।

सीतोड़ गाँव का रास्ता अवरुद्ध करने का मामला हाईकोर्ट पहुँचा

जयपुर (कासं)। सवाई माधोपुर जिले की तहसील बामनवास के ग्राम सीतोड़ (बड़ी झोपड़ी कसाना ढाणी) के लगभग 300 ग्रामीणों के आवागमन के एकमात्र कदीमी रास्ते पर अवैध अवरोध लगाए जाने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई।

याचिका में बताया गया कि रास्ता अवरुद्ध होने से ग्रामीणों, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा एम्बुलेंस तक गाँव तक नहीं पहुँच पा रही थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने 5 फरवरी को संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए तथा थाना प्रभारी, बामनवास को निर्देश दिया कि अवरुद्ध रास्ते से अवरोध हटाकर आवागमन सुनिश्चित किया जाए और भविष्य में पुन: अवरोध न हो।

जनवरी की जिला रैंकिंग में झुंझुनूं और हनुमानगढ़ अव्वल रहे

जिला रैंकिंग से मजबूत हो रही स्कूल शिक्षा में जवाबदेही और सुधार प्रक्रिया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी-2026 की जिला एकेडमिक रैंकिंग जारी कर दी गई है। यह रैंकिंग प्रदेश के समस्त जिलों के शैक्षिणक परिणामों, विद्यालयों के दैनिक संचालन और गवर्नेंस संकेतकों में प्रदर्शन का समग्र आकलन करती है। ताज़ा रैंकिंग में झुंझुनूं और हनुमानगढ़ शीर्ष जिलों में शामिल रहे हैं, जबकि चूरू ने सराहनीय प्रयास करते हुए तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया है।

■ **डेटा-आधारित समीक्षा से सीखने के परिणामों पर बढ़ा फोकस**

रैंकिंग में छात्रों की नियमित उपस्थिति, कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता, फील्ड विजिट के माध्यम से निगरानी और शैक्षिणक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन जैसे प्रमुख मानकों को शामिल किया गया है। सीखने के परिणामों पर बढते जोर और उच्च स्तर पर नियमित प्रदर्शन समीक्षाओं के साथ, जिला रैंकिंग स्कूल शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही, लक्षित सहयोग और निरंतर सुधार लाने का एक प्रभावी माध्यम बन रही है।

इस वर्ष शैक्षिणक सीखने के परिणामों को औपचारिक रूप से रैंकिंग का हिस्सा बनाया गया है। कॉम्पिटेंसी-बेस्ड असेसमेंट (सीबीए), ओरल रीडिंग फ्लुएंसी (ओआरएफ) असेसमेंट और बोर्ड परीक्षा के नतीजों को विशेष महत्व दिया गया है, ताकि जिलो का प्रदर्शन न केवल प्रशासनिक दक्षता बल्कि शैक्षिणक प्रभाव को भी दर्शा सके।

एकेडमिक रैंकिंग का उद्देश्य जिलों के प्रदर्शन की नियमित, डेटा-आधारित समीक्षा करना और स्कूल शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही को मजबूत बनाना है। जिला रैंकिंग और पैरामीटर-वाइज़ स्कोर की हर माह स्कूल शिक्षा विभाग (सीएसई) के सचिव की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठकों में गहन समीक्षा की जाती है, जिसमें कमियों की पहचान कर सुधार के लिए स्पष्ट अगले कदम तय किए जाते हैं। ताजा रैंकिंग के अनुसार झुंझुनूं और हनुमानगढ़ ने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। तीसरे पायदान पर चूरू रहा, जिसने गंगानगर को पीछे छोड़ा। सीकर, भरतपुर और खैरतल-तिजारा क्रमश: चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर रहे। बांसवाड़ा और जैसलमेर सबसे निचले पायदान पर है।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि जिला रैंकिंग ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। सीखने के परिणामों को रैंकिंग से जोड़ने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर स्तर पर निर्णय विद्यार्थियों की वास्तविक प्रगति के आधार पर हों। हमारा लक्ष्य है कि सभी जिलों को समान अवसर, समयबद्ध सहयोग और आवश्यक संसाधन मिलें, ताकि प्रदेश का कोई भी बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे।

स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल का कहना है कि डेटा-आधारित समीक्षा और सीखने के परिणामों पर फोकस से अब स्कूल शिक्षा प्रणाली में ठोस और स्थायी सुधार दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में तकनीक, शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचारों के जरिए हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।

नीरज जैन होंगे मेडल ऑफ मैरिट से सम्मानित

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हरीभाऊ बागडे बुधवार को प्रात: 9 बजे जयपुर के जगतपुरा स्थित स्काउट गाइड के राज्य प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी समारोह की अध्यक्षता करेंगे एवं राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य विशिष्ट अतिथि होंगे। इस अवसर पर प्रदेश स्काउट गाइड संगठन के जनसंपर्क प्रभारी एवं विभागीय मासिक पत्रिका के सहायक संपादक नीरज जैन अपनी उल्लेखनीय सेवाओं के फलस्वरुप राज्यपाल के कर कमलों से मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित होंगे। जैन की उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय सेवाओं के फलस्वरुप इस अवार्ड के लिए राज्य अवार्ड कमेटी द्वारा उनका चयन किया गया है। जैन इससे पूर्व भी अनेक साहित्यिक एवं कला मंचों पर सम्मानित हो चुके है।

राज्य बजट से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्राम साथिनों का शक्ति प्रदर्शन

जयपुर। राज्य बजट से ठीक पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथिनों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो मजबूर होकर दिल्ली कूच करना पड़ेगा। सोमवार को 22 गोदाम पुलिया के पास अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने एक दिवसीय धरना दिया। प्रदेश भर से पहुंची महिला आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने सहित 11 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष रखा।

संस्था के संस्थापक-संरक्षक छोटेलाल बुनकर ने बताया कि उच्च न्यायालय, जयपुर की खंडपीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समकक्ष माना है। साथ ही उनका मानदेय क्रमश: 24 हजार 800 और 20 हजार 300 तय किया है। अदालत ने इसे 30 दिनों के भीतर लागू करने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सचिवों को निर्देशित किया है।

बुनकर ने इसे मातृशक्ति की पहली बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अब सरकार को इसे लागू करना होगा। धरने के माध्यम से कर्मचारी संघ ने अन्य मांगें भी सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि उनका यह शक्ति प्रदर्शन केवल शुरुआत है, अपने हक और अधिकारों के लिए उनका यह प्रयास भविष्य को मजबूत बनाएगा। उन्होंने बताया कि, आंगनबाड़ीकर्मियों ने न्यूनतम मानदेय वृद्धि, मानदेय बढ़ाने, कुम्हेर परियोजना, ठेका प्रथा खत्म करने,

प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को 22 गोदाम पर एकत्रित होकर धरना दिया।

नर्सरी शिक्षक का दर्जा देने, ग्राम साथिनों के लिए पद और आरक्षण की मांग की है। इसके साथ ही महिला पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों में 50 प्रतिशत आरक्षण, रिक्त पदों में शिथिलता देने, बोनस अंक, पेंशन और ग्रेच्युटी की मांगे भी उठाई है। संघ की प्रदेशाध्यक्ष रचना शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल न्यायालय के आदेश को लागू कराना नहीं है, बल्कि आंगनबाड़ी और ग्राम साथिनों के अधिकारों और भविष्य को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अनदेखा की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम साथिनों की मेहनत और योगदान अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जलदायकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन

जयपुर। प्रान्तीय नल मजदूर यूनियन इंटक जयपुर के आव्हान पर पानी पेच स्थित अधीक्षण अभियन्ता वृत उत्तर कार्यालय पर हजारों की संख्या में जलदाय कर्मचारियों ने 16 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।यह प्रदर्शन संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत के निर्देशानुसार, जिला अध्यक्ष ताराचन्द सैनी, जिला उपाध्यक्ष रामनिवास सैनी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह शेखावत विधि सलाहकार मुकेश कुमार माथुर के नेतृत्व में आयोजित हुआ। कर्मचारियों ने नई भर्ती, लीवरेज राशि में वृद्धि, पम्प हाउस व राजकीय आवासों की मरम्मत, सुरक्षा कर्मी नियुक्ति सहित प्रमुख मांगों को लेकर अधिक्षण अभियन्ता एवं अधीनस्थ अभियंताओं को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने 15 दिवस में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर आयोजित आम सभा को राजस्थान इंटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, जलदाय इंटक के संरक्षक जगदीश प्रसाद शर्मा, रामाशंकर गुर्जर एवं सलाहकार केदार शर्मा ने संबोधित किया।

मां ने बेटी को संतान मानने से किया इनकार

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में मां की ओर से याचिकाकर्ता को अपनी बेटी मानने से इनकार करने पर अदालत ने डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि किसी को जबरन डीएनए परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि वह परीक्षण से इनकार करती है तो अदालत परिस्थिति के आधार पर अनुमान लगा सकती है। जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश बेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि डीएनए जांच से व्यक्ति की निजता प्रभावित होती है, लेकिन सत्य का पता लगाना भी कोर्ट का दायित्व है।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता बेटी ने साल 2014 में अपने स्वर्गीय पिता की ओर से अपने बेटे के पक्ष में बनाई वसीयत को निरस्त घोषित करने और संपत्ति में अपने हिस्से का अधिकार देने की गुहार की। बेटी की ओर से कहा गया कि यह पैतृक संपत्ति होने के कारण उसकी वसीयत नहीं की जा सकती थी। निचली अदालत में सुनवाई के दौरान मृतक के बेटे और मां ने याचिकाकर्ता को मृतक की बेटी मानने से इनकार कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर मां और भाई का डीएनए टेस्ट का उसके डीएनए से मिलाने कराने की गुहार की। इस प्रार्थना पत्र को निचली अदालत ने खारिज कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार की। जिसका विरोध करते हुए मां की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि मां स्वयं ही कह रही है कि उसने याचिकाकर्ता को जन्म नहीं दिया। वहीं डीएनए परीक्षण से निजता प्रभावित होगी। इसलिए डीएनए परीक्षण की जरूरत नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि यह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनका डीएनए जांच कराई जाए। यदि इस दौरान मां इनकार करे तो निचली अदालत परिस्थिति के आधार पर अनुमान लगा सकती है।

''ज्वैल्स ऑफ इंडिया'' की विवादित भूमि आवंटन प्रकरण में जनहित याचिका खारिज की हाईकोर्ट ने

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा कि ''भूमि आवंटन और भू-रूपांतरण में कोई अनियमितता नहीं हुई।''

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक रोड पर कैपस्टन मीटर को औद्योगिक उद्देश्य के लिए दी गई 205 बीघा जमीन की लीज शर्तों की अवहेलना करने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से जमीन वापस नहीं लेने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. जयनारायण त्रिवेदी की पीआईएल पर दिए।

अदालत ने कहा कि वह जमीन आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट है। अदालत में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की थी। उन्होंने कहा कि, यह भूमि 1965 तक संस्थानिक भूमि थी, इसके भू-रूपांतरण और अवाप्ति में किसी भी तरह की अनियमितत्ताएं नहीं है। इस प्रकरण में जयपुरिया परिवार की ओर से अधिवक्ता सुरूचि कासलीवाल पेश हुई थी।

■ **जबकि याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद का कहना था कि ''राज्य सरकार ने वर्ष 1965 में गोपालपुरा पुलिया के पास 205 बीघा भूमि कैपस्टन मीटर प्रा. लि. को औद्योगिक उद्देश्य के लिए लीज पर दी थी। लीज शर्त के मुताबिक जमीन आवंटन का उद्देश्य पूरा नहीं होने पर भूमि स्वतः राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।''**

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 1965 में गोपालपुरा पुलिया के पास स्थित इस 205 बीघा भूमि को कैपस्टन मीटर प्रा. लि. को औद्योगिक उद्देश्य के लिए लीज पर दिया था। लीज में यह शर्त थी कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन लीज पर दी गई है, अगर वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो जमीन स्वत: ही राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। इसके अलावा लीज दस्तावेजों से स्पष्ट है कि यह भूमि आवंटी न तो किसी अन्य उपयोग में लेगा और ना ही हस्तांतरित कर सकेगा।

याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद भी जमीन के कुछ हिस्से को मैसर्स जय डिंक्स प्रा. लि. को सब-लीज पर दे दी गई। दोनों कंपनियों के निदेशक भी एक ही जयपुरिया परिवार से संबंध रखते हैं। इस भूमि के एक हिस्से में उच्च अधिकारियों और राजनेताओं की शह पर ज्वैल्स ऑफ इंडिया नाम से रिहायशी फ्लैट्स की बहुमंजिला इमारत बना दी गई।

याचिका में यह भी कहा गया कि बिल्डर के दबाव में इस जमीन के व्यावसायिक उपयोग की भी अनुमति दे दी गई। जेडीए के तत्कालीन विधि निदेशक अपनी विस्तृत टिप्पणी में इस कृत्य को भ्रष्टाचार की संज्ञा देते हुए मामले की जांच निष्पक्ष जांच एजेंसी से करने की विधिक राय दी, लेकिन उनका निदेशक पद से तबादला कर दिया गया। याचिका में गुहार की गई की मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और राज्य सरकार की ओर से जमीन को अपने स्वामित्व में लिया जाए।

इस प्रकरण में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत ने बताया कि वर्ष 1965 के आसपास ही कैपस्टन मीटर ने यह भूमि राज्य सरकार के पास सरेंडर कर दिया था, इसके बाद जयपुरिया परिवार को ही यह भूमि अवाप्ति में मिली। यह भूमि 1965 तक संस्थानिक भूमि थी, इसके भू-रूपांतरण और अवाप्ति में किसी भी तरह की अनियमितत्ताएं नहीं है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को पूर्व विधायक मोहन लाल गुप्ता के निवास पर पहुंचकर उनकी माता स्व. कमला देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही शोक संतप्त परिवारजनों को ढांढस बंधाया।